

आढ़तियों और मज़दूरों के साथ धोखाधड़ी का आरोप



करनाल, (म.मो.) हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने आढ़ती, मजदूर, किसान व मंडी के मुनीम से बातचीत करने के उपरांत कहा कि सरकार आढ़ती, मजदूर व किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है।

मंडियों के आढ़तियों को जो आढ़त 2.5 प्रतिशत मिला करती, सरकार गेहूं पर जो आढ़त 49.37 रुपये बनती थी उसे घटाकर 46 रुपये प्रति किंटल कर दिया। जबकि सरकार ने चुनाव में आढ़तियों की आढ़त 3 प्रतिशत करने का वादा किया था। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार द्वारा खरीद की गई धन की लोडिंग की लेबर 1.38 रुपये प्रति किंटल सरकार की तरफ बाकी है जो कि 10 महीने बीत जाने के बावजूद भी अभी तक सरकार ने धन की लोडिंग की पेमेंट नहीं दी है। यहां तक कि 2020 की खरीदी गई गेहूं का काटा गया व्याज व सरकारी खरीद एजेंसी द्वारा 2019 की खरीदी गई गेहूं का भुगतान लेट करने का जो व्याज बनता है सरकार ने अभी तक नहीं दिया है, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कई बार व्याज देने की घोषणा कर चुके हैं।

प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार की खरीद एजेंसियों द्वारा कपास, सरसों व चना की सीधी खरीद किसानों से की जा रही है। कपास, सरसों व चने की खरीद सीधी करने से आढ़तियों को आढ़त नहीं मिलती। सरकार को किसान की हर फसल मंडी के आढ़तियों के माध्यम से खरीदनी चाहिए। सरकार ने अनाज मंडियां बनाकर आढ़तियों को व्यापार करने के लिए दुकानें बेच रखी हैं और आढ़त का काम करने के लिए सरकार ने आढ़तियों को मार्केट बॉर्ड के माध्यम से लाइसेंस दिए हुए हैं अगर सरकार फसल आढ़ती के माध्यम से ना खरीद कर सीधे सरकारी एजेंसियां खरीदेगी तो मंडी में आढ़ती दुकान करके क्या करेगा, जबकि किसान की हर फसल मंडी के आढ़तियों के माध्यम से खुली बोली में बिकनी चाहिए ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके व आढ़तियों को अपनी आढ़त मिल सके। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार नए नए नियम लागू करके आढ़ती, किसान व मजदूरों को नाजायज तंग करने में लगी हुई है जो सरासर गलत है।

पर्यावरण संरक्षण से जनता को जोड़ा जाएगा

करनाल, (म.मो.) मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जसबीर ने बताया कि 18 अगस्त को एडीआर सेंटर, करनाल के कांफ्रेंस हॉल में पर्यावरण संरक्षण पर एक बैठक हुई। इस बैठक में महेश कुमार, उप रेंजर, वन विभाग के कई अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी हितधारकों के साथ समन्वय में विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने की आवश्यकता है। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि पर्यावरण क्षण के रास्ते पर है। स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण अभियान, कागज और प्लास्टिक की रीसाइकिलिंग, जल संरक्षण, वायु प्रदूषण आदि के मामले पर भी चर्चा हुई। वरिष्ठ जिला कृषि अधिकारी डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के अलावा हरियाणा सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती हैं जिसमें किसानों को उनकी फसलों की शिफिर्य के लिए अर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत मेरा पानी मेरी विवासत योजना, हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दे रही है।

दरअसल, हरियाणा में कई जगहों पर जलस्तर घट रहा है। इससे राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने किसानों के लिए यह योजना शुरू की है।

यह संकल्प लिया गया कि पेड़ लगाने से होने वाले लाभों के बारे में और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आम जनता में जागरूकता पैदा की जाए। यह भी संकल्प लिया गया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए स्वच्छता, वृक्षारोपण, कागज और प्लास्टिक के पुनर्वर्तन, जल संरक्षण और वायु प्रदूषण के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा सकता है। यह भी तय किया गया कि जनता को जागरूक किया जाए कि वे क्या फेंकते हैं उस पर कटौती करें। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और लैंडफिल स्पेस का पालन करें। जब वे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, तो वे दूसरों को हमारे प्राकृतिक संसाधनों के महत्व और मूल्य को समझने में मदद कर सकते हैं। पानी का कम प्रयोग करें। कम प्लास्टिक खरीदें और एक पुनर्प्रयोग शॉपिंग बैग लाएं। ऊर्जा कुशल प्रकाश बल्ब ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हैं। जब वे कमरे से बाहर निकलते तो लाइट स्विच को भी बंद कर दें। पेड़ भोजन और आक्सीजन प्रदान करते हैं। वे ऊर्जा बचाने, हवा को साफ करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करते हैं। घर और ऑफिस में नॅन-टॉक्सिक केमिकल्स चुनें और ड्राइविंग कम करें।

कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने को कितना तैयार हैं हम

करनाल (म.मो.) आज के दौर में कामयाब होने के लिए अच्छे ज्ञान के साथ-साथ अच्छा लिखने और अच्छा बोलने की कला का भी होना जरूरी है। ज्ञान का अच्छा भंडार होने के बावजूद यदि आपको लिख और बोल कर उसे अच्छी तरह अधिकरूप करना नहीं आता तो कामयाबी मिलना मुश्किल है। यह बात हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष एवं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने चोचड़ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्रों से संवाद के दौरान कही।

उन्होंने विधायिकों से कहा कि हम कोरोना जैसी भयंकर महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। कोविड की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया के पसंदीदा छुड़ा दिए और लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। दूसरी लहर अभी पूरी तरह गई भी नहीं है कि अब तीसरी लहर और डेल्टा वेरिएंट का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में एक ही दिन में डेल्टा वेरिएंट के 30 मामले सामने आए जिनमें से 29 मामले गांवों से हैं। इसलिए, कोविड से बचने के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार और मास्क लगाना बेहद जरूरी है। गांव वालों को खास तौर पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और कोविड से बचने के लिए कम से कम तीन संकल्प लेना चाहिए कि हम अधिक से अधिक चोचड़ वासियों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। ग्रामीणों को तीसरा महत्वपूर्ण संकल्प यह लेना चाहिए कि वे सामाजिक दूरी का यथासंभव पालन करें। हरियाणा ग्रंथ अकादमी उपाध्यक्ष ने विधायिकों एवं स्कूल के स्टाफ से कहा कि जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगाई है उन्हें वैक्सीन अवश्य लगावा लेना चाहिए। यह प्राण रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है और इस पर सरकार ने काफी पैसा खर्च किया है। इतनी लागत से तैयार की गई वैक्सीन आम जनता के लिए निशुल्क उपलब्ध है।

छात्रों के बीच पेड़ पौधों को अपनाने की विशेष पहल

करनाल (म.मो.) पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। पंजाब हरियाणा करनाल करनाल जसबीर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भैनी खुर्द का दौरा किया। स्कूल के छात्रों के बीच 100 पौधे वितरित किए गए। उन्हें अवगत कराया गया कि इन पौधों को प्रत्येक छात्र द्वारा अपनाया जाएगा और जिस ने एक पौधा अपनाया है वह इसकी देखभाल करेगा और समय-समय पर इसकी वृद्धि और रख रखाव सुनिश्चित करेगा। सीजेएम ने बताया कि निरीक्षण के बाद डीएलएसए उन छात्रों को शॉर्ट लिस्ट करेगा जिन्होंने इन पौधों को एक वर्ष की समय अवधि में सर्वश्रेष्ठ बनाए रखा है और स्वाभाविक रूप से इसके विकास की अनुमति दी है और ऐसे छात्रों को हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा एक वर्ष के बाद मूल्य / प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

सीजेएम ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों के रूप में उन्हें भविष्य का नेता माना जाता है, इसलिए वे जरूरतमंद लोगों और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (संक्षेप में डीएलएसए) के बीच सबसे अच्छा माध्यम होंगे। वे कानूनी सहायता कार्यक्रमों के बारे में जानकारी के प्रसार, जनता के बीच कानूनी जागरूकता पैदा करने, और समाज के वर्चित और हाशिए के वर्गों के लिए उनकी क्षमता और भावना का उपयोग करने के लिए उन्हें सहानुभूति और समस्याओों की पहचान करने के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करना है। अपने पड़ास में ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो कानूनी सहायता या सहायता के पात्र हैं और जिन्हें कानून द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता बनाई गई है।



वर्तमान योजना कानूनी अधिकारों उनके अध्ययन पाठ्यक्रम को नुकसान और कर्तव्यों के ज्ञान का प्रसार करने और गरीबों और जरूरतमंदों को उनकी विभिन्न समस्याओं के लिए कानूनी सुझाव देने और कानूनी साक्षरता और कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए बिना किसी कारण के कार्यक्रम प्रदान करने के विचार के साथ बनाई गई है।

उन्होंने कहा कि स्टूडेंट लीगल लिटरेसी बैठक का प्राथमिक कार्य अपने पड़ास में कानूनी साक्षरता और जागरूकता फैलाना है और कानूनी सेवाओं और डीएलएसए के बीच एक आवश्यकता वाले व्यक्तियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है। अपने पड़ास में ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो कानूनी सहायता या सहायता के पात्र हैं और जिन्हें कानून द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों की रक